



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102024-258049
CG-DL-E-18102024-258049

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4204]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946

No. 4204]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4570(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (पैन: AAALW0078N), जो कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड है, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात् :

- सहमति शुल्क / अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क;
- वायु की गुणवत्ता तथा जल की गुणवत्ता का विश्लेषण शुल्क अथवा शोर स्तर सर्वेक्षण शुल्क पर विश्लेषण शुल्क;
- प्राधिकार शुल्क;
- उपकरण प्रतिपूर्ति तथा उपकरण शुल्क;

- (ड) नेशनल एयर मोनिटरिंग प्रोग्राम, भारतीय राष्ट्रीय जलीय संसाधनों एवं इसी प्रकार की योजनाओं की निगरानी के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त व्ययों की प्रतिपूर्ति;
- (च) पर्यावरण संबंधित कानूनों, विनियमों एवं महत्वपूर्ण न्यायिक आदेश और विभिन्न पर्यावरण के विषयों की पुस्तकों की बिक्री जिसमें कोई लाभ का तत्व शामिल न हो और यह कार्य वाणिज्यिक प्रकृति का न हो;
- (छ) जमा पर ब्याज;
- (ज) जन सुनवाई शुल्क;
- (झ) वाहन उत्सर्जन निगरानी परीक्षण शुल्क;
- (ञ) स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथारिटी द्वारा किये गए प्रसंस्करण के लिए प्राप्त शुल्क;
- (ट) बोर्ड पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण, जिसमें कि कोई लाभ की बात निहित न हो या वाणिज्यिक प्रकृति का कोई क्रियाकलाप न हों के लिए संग्रहित शुल्क;
- (ठ) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का 22) के अंतर्गत प्राप्त शुल्क और अपील शुल्क;
- (ड) बोर्ड के कर्मचारियों को दिए गए कर्ज और अग्रिम धन पर ब्याज;
- (ढ) प्रदूषण कर्च / अनुपालन न करने की स्थिति में बैंक की गारंटी; और
- (ण) विविध आय जैसेकि पुराने तथा कबाड़ की बिक्री, निविदा शुल्क और इससे संबंधित अन्य मामले जिसमें कोई लाभ न निहित हो।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड—

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) गतिविधियाँ और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2014-15 से संगत निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 117 /2024/फा. सं. 300196/27/2022-आईटीए-1(खंड 1)]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2024

S.O. 4570(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'West Bengal Pollution Control Board' (PAN AAALW0078N), a board constituted by the Government of West Bengal in respect of the following specified income arising to that body, namely:

- (a) consent fees or no objection certificate fees;
 - (b) analysis fees on air quality and water quality or noise level survey fees;
 - (c) authorisation fees;
 - (d) cess reimbursement and cess appeal fees;
 - (e) reimbursement of the expenses received from the Central Pollution Control Board towards National Air Monitoring Program, the Monitoring of Indian National Aquatic resources and like schemes;
 - (f) sale of books relating to environmental law, regulations, important judicial orders and environmental issues where no profit element is involved and the activity is not commercial in nature;
 - (g) interest on deposits;
 - (h) public hearing fees;
 - (i) vehicle emission monitoring test fees;
 - (j) fees received for processing by State Environmental Impact Assessment Authority;
 - (k) fees collected for training conducted by the Environmental Training Institute of the Board where no profit element is involved and the activity is not commercial in nature;
 - (l) fees received under the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) and appeal fees;
 - (m) interest on loans and advances given to staff of the Board;
 - (n) pollution cost or forfeiture of bank guarantee due to non-compliance; and
 - (o) miscellaneous income including sale of old or scrap items, tender fees and other matters relating thereto, where no profit element is involved.
2. This notification shall be effective subject to the conditions that West Bengal Pollution Control Board-
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
 3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment year 2015-16 relevant for the financial year 2014-15.

[Notification No. 117/2024/F. No. 300196/27/2022-ITA-I(Pt.1)]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.